न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:– 7/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रमेश पुत्र स्व. श्री आनन्दीलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
2. रामबाबू पुत्र स्व. श्री आनन्दीलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
3. नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री आनन्दीलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
4. भेरू लाल पुत्र स्व. श्री आनन्दीलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
5. राजबाई पत्नि स्व. श्री चतरू उर्फ चतुर्भज पुत्र स्व. श्री आनन्दीलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
6. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री चतरू उर्फ चतुर्भज जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
7. हेमन्त पुत्र स्व. श्री चतरू उर्फ चतुर्भज जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
8. मंजू पुत्री स्व. श्री चतरू उर्फ चतुर्भुज जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।

..... अपीलाण्टान्

बनाम

1. कल्ली पुत्री स्व. श्री किशनलाल जाति मीना, निवासी बागर का बास, अलवर।
2. रामजीलाल पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
3. सोमा पुत्री स्व. श्री किशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
4. गोपालदास पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।

5. गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व. श्रीमति किस्तुरी नवासा किशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
6. छोटी देवी पुत्री स्व. श्रीमति किस्तुरी नवासी किशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
7. परसीराम पुत्र स्व. श्रीमति किस्तुरी नवासा किशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
8. चन्द्रभान पुत्र स्व. श्रीमति किस्तुरी नवासा किशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
9. लाली पुत्री स्व. श्री रोशनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
10. निर्मला पुत्री स्व. श्री दोलतराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
11. पुनम पुत्री स्व. श्री दोलतराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
12. लाजवन्ती पत्नी स्व. श्री दोलतराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
13. रजनी पुत्री स्व. श्री दोलतराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
14. हेमलता पुत्री स्व. श्री दोलतराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
15. प्रवीण पुत्र स्व. श्री दोलतराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
16. राहुल पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
17. आनन्दी पत्नि स्व. श्री मुंशीराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
18. पुष्पा पुत्री स्व. श्री मुंशीराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
19. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री मुंशीराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
20. मनोज पुत्र स्व. श्री मुंशीराम जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
21. कमला पत्नि स्व. श्री कमल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
22. मोहित पुत्र स्व. श्री कमल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।
23. रोहित पुत्र स्व. श्री कमल जाति मीना, निवासी मौहल्ला खास मीना पाडी, देहली दरवाजा बाहर, अलवर राजस्थान।

24. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर कचहरी परिसर अलवर
.....रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री संजीव जैन, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दिनेश कुमार यादव, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 30.03.2021

यह अपील मातहत अदालत सहायक जिलाधीश अलवर के दावा संख्या 1/106 बउनवान किशनलाल बनाम रमेश के निर्णय दिनांक 28.09.1981 एवं पर्चा डिक्री दिनांक 05.01.1989 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत सहायक जिलाधीश अलवर के समक्ष इस आशय का दावा पेश किया कि विवादित आराजीयात जोधाराम की पैदाकर्त्ता आराजी हाल खसरा नम्बर 363 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, 364 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 375 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 393 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व 394 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा ग्राम बल्ला बोडा में वाके है। जोधाराम के मरने के बाद इसमें वादी संख्या 1 का 1/3, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा खातेदार काश्तकार है। परन्तु जोधाराम के मरने के बाद आनन्दीलाल ने अपने नाम इन्तकाल मंजूर करा कागजातनाल में अपने नाम दर्ज करा ली, जो गलत व मौके के खिलाफ है। आराजी मुतनाजा में आनन्दीलाल का 1/3 हिस्से से अधिक होने से वादीगण को नुकसान पहुंचता है, इसलिए तकसीम करना आवश्यक है। ख.नं. 363 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा में वादीगण ने अपने लागत से कुँआ बनवाया है जो वादीगण के हिस्से में रहना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने 15.06.1981 को तकसीम से इन्कार कर दिया। अतः वर्णित विवादित आराजीयात का वादी संख्या 01 व 02 को 1/3, 1/3 भाग डिक्री व कब्जा दिलाई जावें। खसरा नम्बर 363 में बना कुंआ वादीगण का घोषित किया जावें। तहत अदालत में उभयपक्षों द्वारा राजीनामा का प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर ने दिनांक 28.09.81 को निर्णय में इस प्रकार बंटवारा किया गया कि वादीगण किशनलाल एवं रोशनलाल के सम्मिलित हिस्से में ख.नं. 363 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 364 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व ख.नं. 375 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी रहेगी।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के कब्जे में ख.नं. 393 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व 394 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा रहेगी तथा दिनांक 05.01.89 को राजीनामा अनुसार पर्चा डिक्री जारी की। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उभयपक्षकारान एक ही दादा–पड–दादा के वंशज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के पश्चात आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी सडक निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर द्वारा सन् 1992 में अवाप्त कर ली गई जिस अवाप्तशुदा आरजी का मुआवजा भी अपीलाण्टान द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर से प्राप्त कर लिया गया। इसके पश्चात वादीगण यानि रेस्पोडेण्टान के बुजूर्गान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल कराकर इन्तकाल संख्या 117 सन् 1993 में दर्ज करवा दिया गया तथा मूल वाद में वर्णित आराजी मुतनाजा पर उभयपक्षकारान दावा दायरी से पूर्व जिस प्रकार भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे थे, उसी प्रकार कालान्तर में काबिज चलते रहे। इसी दममियान उक्त आराजी में से कुछ खसरा नम्बरान पर नगर विकास न्यास अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। जिसकी जानकारी मिन अपीलाण्टान को नहीं हुई तथा हाल ही में नगर विकास न्यास कार्यालय अलवर से अपीलाण्टान को दिनांक 17.12.2018 को पत्र प्राप्त हुआ। उक्त पत्र प्राप्त हाने पर ही अपीलाण्टान द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया ता पाया कि आराजी खसरा नम्बर 375 पर अपीलाण्टान का अर्से दराज से भोतिक कब्जा चला आ रहा है, जिस खसरा नम्बर को गलत बेजा तौर पर मौके के खिलाफ रेस्पोडेण्ट को दे दिया गया है तथा खसरा नम्बर 393 जो कि रेस्पोडेण्ट को देना चाहिए था, वह खसरा नम्बर अपीलाण्टान को दे दिया गया है। जिस पर मिन अपीलाण्टान द्वारा दिनांक 27.12.2018 को अपनी आपत्ति दर्ज करा दी गयी। विवादित आराजीयात का राजीनामा अधिवक्ता द्वारा लिखवाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर 17.08.1981 को प्रस्तुत कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड व भौतिक कब्जा की जांच किए ही राजीनामा को तस्दीक कर 20.09.1981 को निर्णित फरमा दिया तथा 05.01.1989 को तदानुसार डिक्री कर दिया गया। अपील में साबिक खसरा नम्बर 375 के हाल 630, 631, 632 एवं साबिक खसरा नम्बर 393 हाल खसरा नम्बर 599 मूल रूप से विवादित है, जिसकी बाबत पारित निर्णय व डिक्री मंसुख किये जाने योग्य है। अन्त में अंकन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाबत साबिक आराजी खसरा नम्बर 375 हाल खसरा नम्बर 630 व 632 एवं साबिक खसरा नम्बर 393 हाल खसरा नम्बर 599 रकबा 43 ऐयर निर्णय दिनांक 28.09.1981 तथा डिक्री 05.01.1989 संशोधित की जाकर साबिक खसरा नम्बर 375 हाल खसरा नम्बर 630 व 632 वाके बल्लावोडा अपीलाण्ट के पक्ष में तथा साबिक खसरा नम्बर 393 हाल खसरा नम्बर 599 वाके बल्लावोडा रेस्पोडेण्ट के पक्ष में जारी कर अपील स्वीकार किया जावे। इस प्रार्थना के साथ अपीलाण्टान द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दीवानी प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों की पालना नही करते पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नगर विकास न्यास कार्यालय अलवर से अपीलाण्टान को आराजी मुतनाजा की अवाप्ति के बदले राज्य सरकार के मापदण्ड अनुसार प्लॉट देने हेतु जारी पत्र दिनांक 17.12.2018 को तथा उसके पश्चात जिला लेख भण्डार अलवर में उक्त निर्णय व डिक्री की पत्रावली तलाश करवायी जाकर पत्रावली का अवलोकन दिनांक 01.01.2019 को करने से हुई तथा निर्णय दिनांक 28.09.1981 से 16.12.2018 तक का जो समय व्यतित हुआ, वह लाईल्मी में व्यतीत हुआ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के खण्डन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय उभयपक्षों के राजीनामा प्रार्थना पत्र से हुआ था। अपील को इतने वर्षों पश्चात पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। देरी का कोई दिनप्रतिदिन कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री **Contrary To Law** एवं **Procedure** के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ द्वारा निर्णय पारित करते समय **Judicial Mind** कतई अप्लाई नहीं किया गया तथा अपना निर्णय पारित करने से पूर्व दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा आर.टी.एक्ट में वर्णित प्रावधानों के विपरित व उनकी मूल भावना के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मीमो ऑफ सूट में वर्णित उभयपक्षकारा अनूसूचित जनजाति के मात्र साक्षर व्यक्ति थे। जिनके वाद में वर्णित विवादित आराजीयात की बाबत राजीनामा अधिवक्ता द्वारा लिखवाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर दिनांक 17.08.1981 प्रस्तुत किया। जिस राजीनामा में वर्णित आराजीयात की बाबत उभयपक्षकारान से किसी प्रकार की कोई जांच व पूछताछ नहीं की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात की बाबत बिना राजस्व रिकार्ड व भौतिक कब्जा की बाबत जांच किये बिना ही राजीनामा तस्दीक कर वाद को दिनांक 28.09.1981 को निर्णित फरमा दिया गया एवं उक्त राजीनामा के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.1989 को डिक्री पारित कर दी गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2019 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उभयपक्षों के राजीनामा के पश्चात हुआ था, परन्तु अब अपील प्रार्थना के अनुसार अपील स्वीकार किए जाने का कथन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। वकुलाय फरीकेको अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। यह सही है कि अपील निर्णय एवं डिक्री के 29 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है, परन्तु तहत न्यायालय में अपीलाण्ट को प्रतिवादी के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 28.09.1981 व डिक्री

दिनांक 05.01.1989 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। राजीनामा दिनांक 17.08.1981 का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार–

आराजी खसरा नम्बर	रकबा	पक्षकारान सहमति
363	2 बीघा 08 बिस्वा	वादीगण किशनलाल एवं रोशनलाल सम्मिलित खातेदार
364	2 बीघा 14 बिस्वा	
375	1 बीघा 14 बिस्वा	
393	1 बीघा 14 बिस्वा	प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 सम्मिलित खातेदार
394	1 बीघा 17 बिस्वा	

राजीनामा पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दस्तख्त है। इसी राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अंकन है।

सहायक जिलाधीश की टिप्पणी अंकित है कि "किशनलाल वादी, रोशनलाल वादी बशनाख्त श्री सुरेन्द्र कुमार वकील को प्रतिवादी रमेश, चतरू, रामबाबू, नरेन्द्र, भैरू, बनाशख्त श्री रामजीलाल चौधरी वकील ने राजीनामा पेश किया। जिसकी ईबारत पढ़कर सुनाई गई, समझाई गई। सुन व समझ कर स्वीकार किया । अतः राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। ता. 17.8.81"

अब इस राजीनामा के आधार पर अपीलाण्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात की बाबत बिना राजस्व रिकार्ड व भौतिक कब्जा की बाबत जांच किये बिना ही राजीनामा तस्दीक कर दिया गया। इस कथन का कोई विधिक आधार नहीं है, जैसा कि राजीनामा को तस्दीक करते समय सहायक जिलाधीश द्वारा कथन उपरोक्तानुसार अंकन किये गये हैं। राजीनामा प्रस्तुत होने पर संबंधित वकूलाय फरिकेन द्वरा एवं संबंधित पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित है। राजीनामा को पढ़कर सुनाया गया, समझकर स्वीकार किया गया। इसी आधार पर दिनांक 28.09.1981 को निर्णय एवं दिनांक 05.01.1989 का डिक्री जारी की गई।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा विधिक रूप से सही निर्णय पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर के निर्णय दिनांक 28.09.1981 व डिक्री दिनांक 05.01.1989 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर